



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-cepwdua@gmail.com

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 1208 / 35व्यक-सा0/18


दिनांक 08/06/2018

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।


क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री राय सिंह रौतेला प्रभारी सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	17 (1) (ग)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी


(आर0सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी/पौड़ी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां/12वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी/पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा/श्रीनगर।
7. श्री राय सिंह रौतेला, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा।
8. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
21/6
2018




:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।


क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री हीरा बल्लभ भट्ट प्रभारी सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	17 (1) (ग)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी


(आर0सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/विश्व बैंक कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट/नैनीताल।
7. श्री हीरा बल्लभ भट्ट, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट।
8. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
08/06/18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-cepwdua@gmail.com

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 1206 / 35व्यक-सा0/18


दिनांक 08/06/2018

:कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री कविन्द्र सिंह गड़िया प्रभारी सहायक अभियन्ता	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	17 (1) (ग)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी


(आर0सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
6. अधिशासी अभियन्ता, ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
7. श्री कविन्द्र सिंह गड़िया, प्रभारी सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
8. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
